संख्या- ए. 20011/04/2017- हिन्दी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 20 फरवरी, 2019

परिपत्र

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर तिमाही की बैठक दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को मुख्यालय में अपर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इसकी कार्यवृत्त विभाग की वेबसाइट में (प्रशासन शीर्ष के कार्यालय आदेश – कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 जनवरी 2019) अपलोड है।

2. इस बैठक में निदेशालय मुख्यालय एवं सभी अं.रा.पु.बे. केन्द्रों में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 18 जनवरी 2019 में संलग्न कार्यवृत्त के अनुसरण में सभी बाह्य स्टेशनों से संबंधित निर्णय को निम्नानुसार सभी स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक/सं.स.नि. के सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाती है :-

(क) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक**. सभी अं.रा.पु.बे. स्टेशनों में कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित आयोजित की जाए और इसकी कार्यवृत्त इस मुख्यालय में भेजी जाए।

(ख) **हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट**. हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद मुख्यालय में भेजी जाए और साथ ही इसकी एक प्रति संबंधित स्टेशन के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग) को भी भेजी जाए। इसका प्रपत्र स.नि.पु.बे. के सरकारी वेबसाइट के यूटिलिटी फॉर्म में उपलब्ध है, मार्च में समाप्त तिमाही के साथ भाग-। एवं भाग-।। दोनों भेजा जाना आवश्यक है। तिमाही रिपोर्ट के संबंधित कॉलम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक, हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तिथि का भी उल्लेख करेंगे।

(ग) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता.** सभी स्टेशन अपने नगर/शहर में मौजूद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता लेंगें और इसकी बैठक में कार्यालय प्रमुख स्वंय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) **हिंदी कार्यशाला**. प्रत्येक अं.रा.पु.बे. केन्द्र में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए।

(ङ) सभी अं.रा.पु.बे. केन्द्र जिन्होंने निदेशालय द्वारा मांगी गयी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों की रिपोर्ट अभी तक मुख्यालय में नहीं भेजी है वे इसकी सूचना यथाशीघ्र इस मुख्यालय में भेजेंगे, ताकि उन्हें राजभाषा नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा सके।

(च) सभी स्टेशन अधीक्षक अपने कर्मचारियों को निदेशालय की हिंदी पत्रिका के प्रकाशन हेतु लेख भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए अधिक से अधिक लेख भेजेंगे। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार के लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

2/-

(छ) हिंदी में काम करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन योजना लागू है, सभी स्टेशन अधीक्षक अपने कर्मचारियों को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें रू० 5000/-, रू० 3000/-, एवं रू० 2000/- तक की नकद पुरस्कार दिया जा सकेगा।

(ज) सभी केन्द्र अपने कार्यालय में हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर उपाय करेंगे। फाइलों में टिप्पणियां अधिक से अधिक हिंदी में ही लिखी जाएं। सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में ही करें।

(झ) फाइलों एवं रजिस्टरों में शीर्षक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी होनी चाहिए।

(ञ) प्रत्येक कम्प्यूटर में यूनीकोड यानी हिंदी में काम करने की सुविधा होनी चाहिए।

(ट) प्रत्येक सोमवार पूर्ण हिंदी कार्य दिवस घोषितकिया गया है। अत: इस दिन पूरा कार्य हिंदी में ही करना है।

(ठ) नगर विशेष में स्थित राजभाषा विभाग के हिंदी शिक्षण संस्थान में कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान को बढ़ाने हेतु हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें कम्प्यूटर में हिंदी टाइपिंग और अहिन्दी भाषी कार्मिकों के लिए प्रबोध, प्राज्ञ व प्रवीण की कक्षाएं चलाई जाती हैं। इस प्रशिक्षण की सूचना मिलने पर अपने केन्द्र से एक-दो कर्मचारियों को इसमें प्रशिक्षण करने हेतु भेजा जाना चाहिए और इसकी सूचना मुख्यालय को दे दी जाए।

3. कृपया उपरोक्त पैरा दो में दिए गए बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गयी कार्रवाई से इस निदेशालय को सूचित किया जाए।

21-2-19

(विद्याधर)
उप निदेशक (राजभाषा/बीजलेख)

<u>प्रतिलिपि</u> -

1. निदेशक के प्रधान वैयक्तिक सचिव - सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) के वैयक्तिक सचिव - सादर सूचनार्थ।
3. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक।
4. सहायक निदेशक (सूचना और प्रोददयोगिकी) - विभाग के वेबसाइट (परिपत्र शीर्ष) में अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल ।